तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
08.08.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय / आदेश मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 141 रकबा 2.81 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के प्रार्थीगण जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा 1.72 हैक्टर तन ग्राम कंचनपुर में स्थित होकर वर्तमान में खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 हिस्सा 1/2 व गैन्दी देवी पत्नी माला हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है, गैन्दी देवी का देहान्त हो चुका है। जिसका वारिस अप्रार्थी संख्या 1 है। प्रार्थीगण को अपनी भूमियो में आने जाने हेतु कचनुपर गांव से कचंनपुर रेल्वे स्टेशन जाने वाली डामर सडक से सटाकर खसरा नम्बर 128 की पश्चिमी सीमा में खसरा नम्बर 142, 143 की पूर्वी सीमा पर व आगे चलकर 142 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 141 तक 15 फुट चौडाई का रास्ता खसरा नम्बर 128 में होकर मौके पर वर्तमान में चालू है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी व नक्शे में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को काफी असुविधा हो रही है क्योकि खातेदार द्वारा इस रास्ते की भूमि के पूर्वी तरफ कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से दर्ज खातेदार द्वारा मौके पर रास्ते को संकडा किये जाने की प्रबल सम्भावना है। जिससे प्रार्थीगण के आने जाने व कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर आदि जुताई हेतु व फसल की उपज आदि को लाने व ले जाने में काफी असुविधा का सामना करना पडता है। उक्त संलग्न नजरी नक्शे में अंकित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु नहीं है एंव ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है। उक्त रास्ता ही लघुत्तम रास्ता है। इस कारण उक्त रास्ते को [illegible] में दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ते के [illegible] से समस्त हकतलाफी है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपनी [illegible] भूमि में आने जाना दूभर हो गया है। इस कारण नजरी नक्शे [illegible] दर्शित रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण का एकमात्र लघुत्तम एवं सरलतम रास्ता है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) की शर्तो व नियमों की

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:39 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**

[illegible] करने को तैयार है तथा प्रार्थीगण डी.एल.सी. दरों की दुगनी [illegible] जमा करवाने को तैयार है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम रास्ता है तथा उक्त चाहे गये रास्ते में भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते में सम्मिलित की जाने वाली भूमि खसरा नम्बर 128 में 4.5 मीटर चौडाई व 120 मीटर लम्बाई में जिसका कुल क्षेत्रफल 540 वर्गमीटर रास्ता दिये जाने तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता नहीं होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ता जिसे लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए उक्त रास्ते की एवज मे बर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की दुगनी राशि जमा करवाने की शर्त पर रास्ता दिये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को इकबालिया जवाब पेश कर स्वीकार किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पर बगौर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के कृषि भूमि खसरा नम्बर 141 रकबा 2.8100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम कचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के प्रार्थीगण जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार होना प्रकट होता है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त की जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि प्रार्थीगण के उक्त भूमि में आवागमन का एकमात्र रास्ता कृषि भूमि खसरा नम्बर 128 में से होकर कचंनपुर ग्राम से कचंनपुर रेल्वे स्टेशन सडक मार्ग से दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 141 तक कदीमी रास्ता चल रहा होने तथा प्रार्थीगण द्वारा [illegible] मार्ग होने व इसमें किसी प्रकार [illegible] क्षय नहीं होना तथा प्रार्थीगण [illegible] रहवासी ढाणी में आने जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता [illegible]ना तथा खसरा नम्बर 128 की भूमि पर मौके पर कब्जा सम्बन्धी विवाद होने एंव राजस्व रिकार्ड अनुसार नोट नं. 11 से दिनांक 11.06.2025 खसरा नम्बर 128, 130 सभी काश्तकारान् पर माननीय उच्च

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:39 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	[illegible]
	न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा एस बी सिविल विविध स्थगन आवेदन संख्या 2137/2014 प्रथम अपील संख्या 291/2014 के प्रकरण में खसरा नम्बर 128, 130 की भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में मौका स्थिति बनाये रखने का नोट अंकित होना तथा भूमि खसरा नम्बर 128 में 4.5 मीटर चौडाई व 120 मीटर लम्बाई में जिसका कुल क्षेत्रफल 540 वर्गमीटर अर्थात 0.0540 हैक्टर की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों के दुगुनी दरों से गणना करने पर कुल राशि 1,73,340/– अक्षरे एक लाख तेहतर हजार तीन सो चालीस रूपये होना पटवारी व तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। इस प्रकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट से प्रार्थीगण के पास कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होकर उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण के पास निकटतम व लघुत्तम रास्ता होने बाबत अवगत कराया है। जिसे अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वीकार भी किया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के पास तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना प्रकट होता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि खेत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थीगण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने या वर्तमान प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया। विधिक प्रावधानों [illegible] रास्ता 120 वर्गमीटर लम्बाई में [illegible] चौड़ाई [illegible] जिसका कुल क्षेत्रफल 540 वर्गमीटर अर्थात 0.0540 हैक्टर [illegible] में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि अदा कर [illegible] पर सहमति व्यक्त करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 4.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिये जाने की अनुशंषा के कारण रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यतिक आवश्यकता होने तथा रास्ता निकटतम /लघुत्तम होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा ली जाने के उपरान्त नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थीगण से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:39 IST
Reason: SelfAttested

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
	अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश ... है कि प्रार्थीगण को ग्राम कल्याणपुर पटवार हल्का ... तहसील श्रीमाधोपुर में अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर ... आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 128 में 4.5 मीटर चौड़ाई व ... मीटर लम्बाई से कुल क्षेत्रफल 540 वर्गमीटर भूमि रास्ते के ... काम आने वाले सम्पूर्ण रकबे की भूमि का वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की निर्धारित दरों से मूल्यांकन राशि की गणना की जाकर उक्त दुगुनी मूल्यांकन राशि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा आकलित ... जाकर राज्यकोष में जमा की जानी है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के ... तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा ट्रेस एवं पर्चा रिपोर्ट में दर्शित 4.5 मीटर चौड़ाई व 54... वर्गमीटर लम्बाई की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग ... आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियां बिला नाम सरकार किस्म गैoमुo रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थीगण को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित अनुसार भूमि खसरा नम्बर 128 में दिये ... का निर्धारण वर्तमान प्रचलित ... की निर्धारित दरों की दुगुनी दरों से (यदि पूर्व में दिनांक 18.06.2025 को भिजवाई गई डी.एल.सी. दरों की सूचि में कोई बदलाव हुआ हो तो) पुनः गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मंगला बनाम ना/सरकार

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्र०पत्र 251 RTM 8/64, 10/2025 काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित मूल्यांकन राशि का आंकलन कर आंकलित राशि प्रार्थीगण से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त दिगर न्यायालय का स्थगन ना होने पर राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जाकर तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:39 IST
Reason: SelfAttested